क्रम-संख्या--1102

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1987

श्रावण 7, 1909 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग

संख्या-1138/सत्रह-वि0-1-1 (क)-9-1987

लखनऊ, 29 जुलाई, 1987

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 29 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1987

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1987)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 मार्च, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में उसके अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिये, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये गये या ले जाने के लिये प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायगी कि उसे ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा गया है और ऐसी स्थिति में, ऐसे उत्पादन के, जिसके बेचे जाने की उपधारणा की जाय, मूल्य को ऐसा युक्तियुक्त मूल्य समझा जायगा जैसा नियत रीति से अभिनिश्चित किया जाय।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृतकार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1138(2)/XVII-V..1-1(KA)-9-1987

*Dated Lucknow, July 29 1987*

In persuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1987.

## THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (AMENDMENT) ACT, 1987

(U. P. Act no. 12 of 1987)

*(As passed by the U. P. Legislature)*

AN
ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964*

It is hereby enacted in the Thirty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 31, 1987.

Amendment of section 17 of U. P. Act no. 25 of 1964

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, at the end thereof the following explanation shall be *inserted*, namely:—

"*Explanation.*—For the purpose of clause (iii), unless the contrary is proved, any specified agricultural produce taken out or proposed to be taken out of a market area by or on behalf of a licenced trader shall be presumed to have been sold within such area and in such case, the price of such produce presumed to be sold shall be deemed to be such reasonable price as may be ascertained in the manner prescribed."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed. U.P. Ordinance no.4 of 1987

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
*Sachiv.*

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 94 सा0 (विधा0)--(1771)--1987--850 (मेक0)।